

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Hisar **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0042 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):**
24/11/2025 19:09 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Monday **Date from (दिनांक से):** 24/11/2025 **Date To (दिनांक तक):** 24/11/2025
Time Period (समय अवधि): Pahar 5 **Time From (समय से):** 14:20 hrs **Time To (समय तक):** 14:20 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/11/2025 **Time (समय):** 17:00 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 022 **Date and Time (दिनांक और समय):** 24/11/2025 18:51 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH-EAST, 40 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) **Address (पता):** सिवानी,

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** पंकज

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** औमप्रकाश

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1983

(d) **Nationality (राष्ट्रियता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गांव कालोद तहसील सिवानी, BHIWANI, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गांव कालोद तहसील सिवानी, BHIWANI, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9812626401

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अनिल कुमार रीडर नायब तहसीलदार			1. सिवानी, BHIWANI, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,

निरीक्षक महोदय,

राज्य सतर्कता एवम् भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

भिवानी

महोदय,

मैं पंकज पुत्र औमप्रकाश गांव कालोद तहसील सिवानी जिला भिवानी का रहने वाला हूं तथा खेती बाड़ी का काम करता हूं। राजबाला पत्नी रत्न सिंह निवासी कालोद, तहसील सिवानी, जिला भिवानी ने मेरी करीब 26 कनाल कृषि भूमि

जो गांव कालोद में ही है धोखे से ले ली थी जिसका दावा मैंने स्थानीय न्यायालय श्री M.Z. खान, Civil Judge, सिवानी में कर रखा है तथा उपरोक्त जमीन पर फिलहाल कब्जा मेरा ही है तथा गिरदावरी भी मेरे नाम है। माननीय अदालत ने इस पर स्टेटस क्यू के आदेश कर रखे हैं तथा राजबाल ने खाता विभाजन के लिये तहसील कोर्ट सिवानी में दावा डाल रखा है जिसकी सुनवाई श्री सरजीत सिंह, नायब तहसीलदार सिवानी कर रहे हैं। मैंने भी तहसील कार्यालय में यह दरखास्त दे रखी है कि जबतक माननीय न्यायालय का फैसला ना आये इस जमीन का खाता विभाजन ना किया जाये। तहसील कार्यालय में कार्यरत श्री सरजीत सिंह, नायब तहसीलदार सिवानी का रीडर अनिल कुमार मेरे से 50,000/- रुपये की रिश्तत तहसील कोर्ट का आदेश लागू करवाने के लिये मांग रहा है तथा कह रहा है कि यदि तुम ये रिश्तत नहीं दोगे तो नायब तहसीलदार साहब से मैं खाता विभाजन करवा दूंगा बेशक इसमें कोर्ट द्वारा स्टेटस क्यू कर रखा हो। इस सम्बन्ध में जब मैं श्री सरजीत सिंह, नायब तहसीलदार सिवानी से मिला तो उसने कहा कि मेरे रीडर अनिल कुमार से बात कर लेना। इस बारे में मैंने अनिल कुमार रीडर की रिकार्डिंग भी की है जो मैं पेश कर दूंगा। मैं यह रिश्तत की राशि अनिल कुमार रीडर, तहसील कार्यालय, सिवानी को देना नहीं चाहता। यदि मैंने उसे रिश्तत की यह राशि नहीं दी तो वह राजबाला के हक में खाता तकसीम के आदेश करवा देगा। मैंने अनिल कुमार रीडर की रिकार्डिंग दिनांक 22-11-25 को की है तथा उसने आज मेरे से पैसे मंगवाये हैं। अनिल कुमार रीडर, तहसील कार्यालय, सिवानी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये।

दिनांक 24-11-25

SD Pankaj

प्रार्थी

पंकज पुत्र औमप्रकाश

गांव कालोद, तहसील सिवानी,

जिला भिवानी।

मो.न. 9812626401

कार्यवाही पुलिस- आज मन निरीक्षक थाना रा0स0एवं भ्र0नि0ब्यू0 हिसार मण्डल हिसार हाजीर हूँ कि मेरे मोबाईल न0 9466050610 पर मोबाईल न0 9812626401 से फोन आया कि मैं पंकज वासी कालोद बोल रहा हूँ। मुझे किसी सरकारी कर्मचारी पर रैड करवानी है। आप कृपया सिवानी आ जाओ मैं आपको समस्त हालात सिवानी पहुँचने उपरान्त ही बतलाऊँगा। इस सूचना बारे हालात पुलिस अधीक्षक रा0स0एवं भ्र0नि0ब्यू0 हिसार मण्डल हिसार को बतलाये गये हैं जिसपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने मन निरीक्षक को कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं तथा श्री मुकेश कुमार यादव, डिविजनल सोयल कन्सरवेशन ऑफिसर भिवानी को राजपत्रित अधिकारी/स्वन्त्र गवाह नियुक्त करके आदेश की प्रति मन निरीक्षक के हवाले की जिसके उपरांत मन निरीक्षक ने श्री मुकेश कुमार यादव के मोबाईल न0 9416218493 पर अपने मोबाईल से बात करके हालात बारे अवगत करवाकर अपने साथ अपने साथ खुद के कार्यालय का एक कर्मचारी लेकर सिवानी पहुँचने बारे निवेदन किया। मन निरीक्षक बमय सहायक उप निरीक्षक वरिन्द्र सिंह न. 485/हिसार, सहायक उप निरीक्षक भरत लाल न. 1417/हिसार, ई0/स0उ0नि0 विरेन्द्र कुमार न. 125/हाँसी, सिपाही सौरभ न. 258/हिसार, सिपाही अमरजीत न. 1399/सिरसा, महिला सिपाही सुनैना न. 2114/सोनीपत मय गाड़ी सरकारी न. एच.आर. 03 जी.वी.7476 मय चालक स0उ0नि0 पवन कुमार न. 1270/हिसार के रैडिंग पार्टी गठित करके सिवानी शहर से बाहर एन0एच0 52 पर लक्ष्मी मोटर गेरीज, सिवानी पर पहुँचा। जहाँ पर शिकायतकर्ता पंकज पुत्र श्री औमप्रकाश वासी कालोद, जिला भिवानी हाजीर मिला जिसने एक लिखित दरखास्त मन निरीक्षक को पेश की तथा इसी असना में श्री मुकेश कुमार यादव, डिविजनल सोयल कन्सरवेशन ऑफिसर भिवानी अपने साथ श्री विनोद कुमार ड्राफ्ट्समैन कार्यालय डिविजनल सोयल कन्सरवेशन ऑफिसर भिवानी को साथ लेकर हाजीर आये जिनसे शिकायतकर्ता का परिचय करवाया गया व हालात रैड से भी अवगत करवाया गया। शिकायतकर्ता पंकज ने मन निरीक्षक को अपने मोबाईल में इस रिश्तत प्रकरण के सम्बन्ध में एक आडियो रिकोर्डिंग भी सुनाई। जो मजबूत दरखास्त व आडियो रिकोर्डिंग से जुर्म जेर धारा 7 PC एक्ट-1988 का होना पाया जाता है लिहाजा तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त सहायक उप निरीक्षक भरत लाल न. 1417/हिसार के अरसाल थाना है बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सूचित किया जावे तथा मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व सम्बंधित अफसरान बाला को नियमानुसार भिजवाई जावे। मन निरीक्षक बमय मुदई पंकज, राजपत्रित गवाह, स्वतन्त्र गवाह व रैडिंग पार्टी के आगामी कार्यवाही में व्यस्त होता हूँ।

अज- लक्ष्मी मोटर गेरीज, एन0एच0 52 सिवानी।

SD Gurmeet Singh

निरीक्षक गुरमीत सिंह न. 197/एच

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

उप केन्द्र, भिवानी ।

दिनांक 24.11.2025

समय 2.20 PM

अज थाना:- हस्त आमद तहरीर कायमी मुकदमा नं. 42 दिनांक 24.11.2025 धारा 7 PC ACT थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रार किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आईन्दा ASI भरत लाल 1417/हिसार के हाथ वर मौका अनुसंधानकर्ता के पास भेजी जा रही है। प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रतियां स्पेशल रिपोर्ट बजरिया EMAIL ID द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब भिवानी व पुलिस अधीक्षक भिवानी की सेवा में भेजी जा रही हैं।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): I (Inspector)
GURMEET

No. (सं.): 197H to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): SATYAPAL

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 303SPT

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

